राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

निगरानी संख्या–1045/2015/जयपुर

टाटा टेलीसर्विसेज लिमिटेड जरिये अधिकृत प्रतिनिधि
अमित सक्सेना, दी गुमान फर्स्ट, आम्रपाली सर्किल,
वैशाली नगर, जयपुर। ...प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये उपपंजीयक,
   जयपुर सप्तम, जयपुर।
2. जी.एस.इन्वेस्टमेन्ट जरिये पार्टनर अभय कुमार चौरडिया
   पुत्र श्री गुमानमल पता 2047, पीतलियों का चौक,
   जौहरी बाजार, जयपुर एवं अन्य पता
   17, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर। ...अप्रार्थीगण

एकलपीठ
श्री नत्थूराम, सदस्य

उपस्थित : :
श्री मुकेश कुमार
अभिभाषक ....प्रार्थी की ओर से
श्री जमील जई
उप–राजकीय अभिभाषक ....अप्रार्थी सं. 1 की ओर से
अनुपस्थित .... अप्रार्थी सं. 2

निर्णय दिनांक : 07.12.2017

निर्णय

1. यह निगरानी प्रार्थी विभाग द्वारा विद्वान कलक्टर (मुद्रांक) जयपुर वृत द्वितीय (सतर्कता) (जिसे आगे **'कलक्टर'** कहा गया है) के आदेश दिनांक 02.03.2015 प्रकरण संख्या 519/2011 के विरूद्ध राजस्थान मुद्रांक अधिनियम, 1998 (जिसे आगे **'मुद्रांक अधिनियम'** कहा गया है) की धारा 65 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि श्री.बी.रामानन्द वाईस प्रेसीडेन्ट टाटा टेली सर्विस लि. 428 गणपति प्लाजा एम.आई.रोड, जयपुर द्वारा एक प्रार्थना पत्र के साथ एक दस्तावेज लीज डीड कलक्टर (मुद्रांक) के समक्ष वास्ते निर्धारण मुद्रांक कर अन्तर्गत धारा 31 मुद्रांक अधिनियम पेश किया। प्रश्नगत दस्तावेज लीज डीड निर्माता चौरडिया पट्टाकर्ता द्वारा टाटा टेलीसर्विसेज लि. जरिये बी. रामानन्द (वाईस प्रेसीडेन्ट) मै. टाटा टेलीसर्विस लि. पट्टा ग्रहिता के पक्ष में निष्पादित किया गया है। उक्त परिसर पट्टाग्रहिता द्वारा 19 वर्ष 11 माह के लिये लीज पर लिया गया है। प्रस्तुत दस्तावेज लीज डीड राज्य सरकार की अधिसूचना एफ4(4)एफडी/कर/2003–223 दिनांक 05.03.2003 से कवर मानते हुए, कलक्टर (मुद्रांक) ने निर्णय दिनांक 18.05.2004 द्वारा उक्त लीज डीड 19 वर्ष 11 माह की अवधि की प्रस्तुत लीज का औसत

लगातार.....2

सालाना किराया रिफण्डेबल, एडजेस्टेबल, सिक्युरिटी डिपोजिट शामिल करते हुये दस्तावेज का कुल प्रतिफल 59,97,685 रू आंकते हुए, इस पर 2 प्रतिशत से मुद्रांक कर 1,19,960 रू निर्धारित किया। कलक्टर (मुद्रांक) के इस आदेश से व्यथित होकर विभाग द्वारा राजस्थान कर बोर्ड में निगरानी पेश की गई। माननीय कर बोर्ड के निर्णय दिनांक 08.08.2011 द्वारा प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया कि लीज डीड के करार की इस निर्णय में समीक्षा की गयी शरायतों के प्रभाव को ध्यान में रखकर तत्समय विवादित बिन्दु पर प्रभावी अधिसूचना संख्या एफ4(4)एफडी 2 कर 2003–223 जयपुर दिनांक 05.03.03 को विचार में रखकर लीज करार के पक्षकारों को सुनकर, प्रश्नगत बिन्दु पर अपना निर्णय विधिसम्मत रूप से नियमानुसार फिर से पारित करे। कलक्टर (मुद्रांक) ने अपने निर्णय दिनांक 02.03.2015 द्वारा हस्तान्तरण पत्र पर देय मुद्रांक कर माना है। अपने अपीलाधीन निर्णय द्वारा कलक्टर (मुद्रांक) ने अपने सम्पत्ति का मूल्य 59,97,685/– रू निर्धारित करते हुये इस पर मुद्रांक शुल्क राशि रू 1,19,960/–, ब्याज राशि रू. 2,89,880/– कुल राशि रू. 4,09,840/– वसूल किये जाने के आदेश दिये है जिससे व्यथित होकर लेसी द्वारा यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3. निगरानी दर्ज की जाकर रिकार्ड व अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी सं. सं. 1 की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक उपस्थित आये। अप्रार्थी सं 2 की ओर से उनके विद्धान अभिभाषक उपस्थित।

4. बहस विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष सुनी गई।

5. विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की ओर से कथन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत नहीं है। अधिसूचना दिनांक 05.03.2003 की गलत विवेचना की गई है। सिक्योरिटी राशि को विधिविरूद्व मूल्यांकन में जोडा गया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जाकर निगरानी स्वीकार की जावे।

6. विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने कन्वेंन्स की दर से मुद्रांक कर लिये जाने का निर्णय पारित किया है जो विधिसम्मत है।

7. विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी सं. 2 ने प्रार्थी के कथनों का समर्थन किया।

8. हमनें पत्रावली का अवलोकन किया व बहस पर मनन किया। न्यायालय निर्णय निम्न प्रकार है :–

9. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र सशपथ होने, निर्णय गुणावगुण के आधार पर श्रेयस्कर होने की दृष्टिगत स्वीकार किया जाकर निगरानी अन्दर मियाद मानी जाती है।

लगातार.....3

10. विचाराधीन प्रकरण में प्रार्थी लेसी ने अप्रार्थी सं. 2 से सम्पत्ति 19 वर्ष 11 महीने की लीज पर ली थी। प्रार्थी ने कलक्टर (मुद्रांक) के समक्ष मुद्रांक कर निर्धारण हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 06.05.2004 को प्रस्तुत किया है जिस पर कलक्टर (मुद्रांक) ने 18.05.2004 को निर्णय पारित किया है। कलक्टर (मुद्रांक) ने औसत सालाना किराया 44,51,305/– व रिफण्डेबल, एडजेस्टेबल सिक्योरिटी 15,43,380/– कुल 59,97,685/– रू की मालियत मानते हुये इस पर 2 प्रतिशत की दर से मुद्रांक कर 1,19,960/– रू निर्धारित किया। कलक्टर (मुद्रांक) ने यह माना है कि यह लीज डीड राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ.4(4)टैक्स/डिवी./2003–223 दिनांक 05.03.2003 से कवर्ड है। राज्यपक्ष की ओर से कर बोर्ड में इस आधार पर निगरानी प्रस्तुत की गई थी कि सिक्योरिटी राशि होने के कारण दस्तावेज अधिसूचना दिनांक 05.03.2003 से कवर्ड नहीं है। कर बोर्ड की माननीय खण्डपीठ ने निर्णय दिनांक 08.08.2011 द्वारा प्रकरण प्रतिप्रेषित करते हुये निर्देशित किया है कि लीज डीड के करार की शर्तो यथा सीक्योरिटी राशि की जमा की वापसी करार, अनुबंध समाप्त करने का एकल अधिकार लेसी को दिया जाना व सम्पत्ति का पूर्व क्रय अधिकारी को लेसी को दिया जाना आदि को ध्यान में रखते हुये विवादित बिन्दु पर अधिसूचना दिनांक 05.03.2003 को विचार में रखकर पक्षकार को सुनकर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निगरानीधीन निर्णय दिनांक 02.03.2015 द्वारा दस्तावेज अधिसूचना दिनांक 05.03.2003 से कवर्ड नहीं माना है तथा कन्वेंन्स की दर से मुद्रांक कर देय होना माना है परन्तु मालियत पूर्वानुसार 59,97,685/– रू रखते हुये मुद्रांक कर भी पूर्वानुसार 1,19,960/– रू ही निर्धारित किया है व साथ ही ब्याज आरोपित किया है।

11. विचाराधीन प्रकरण में मुख्य विवाद यह है कि लेसी द्वारा किये गये लीज अनुबन्ध में जो सिक्योरिटी राशि दिये जाने का प्रावधान किया था एवं जो सिक्योरिटी राशि लौटाये जाने, समायोजन योग्य थी, क्या वह प्रीमियम की श्रेणी में आती है तथा अधिसूचना क्रमांक एफ.4(4)टैक्स/डिवी./2003–223 दिनांक 05.03.2003 का लाभ प्रार्थी को प्राप्ति योग्य है अथवा नहीं। साथ ही अधिसूचना दिनांक 05.03.2003 जो पुराने अधिनियम में जारी की गई है, नये अधिनियम, 1998 लागू होने के पश्चात् भी प्रर्वत थी अथवा नहीं।

12. उपरोक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कर बोर्ड की माननीय खण्डपीठ ने निगरानी सं. 2285/2010 इण्डस टॉवर लि. बनाम राजस्थान सरकार आदि व अन्य समान 64 निगरानियों मे निर्णय दिनांक 04.10.2017 द्वारा यह अवधारित किया है कि सिक्योरिटी राशि को प्रीमियम नही माना जा सकता तथा ऐसे प्रकरणों में अधिसूचना दिनांक 05.03.2003 लागू मानी जायेगी।

लगातार 4

13. माननीय कर बोर्ड की खण्डपीठ द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय के प्रकाश में इस प्रकरण में भी अधिसूचना दिनांक 05.03.2003 लागू मानी जायेगी तथा इस न्यायिक दृष्टांत के प्रकाश में मुद्रांक कर आदि निर्धारण हेतु प्रकरण प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य है।

14. फलतः निगरानी आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निगरानीधीन निर्णय निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण कलक्टर (मुद्रांक) को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत के संदर्भ में एवं उपरोक्तानुसार की गई विवेचना को ध्यान में रखते हुये मुद्रांक कर आदि का निर्धारण प्रार्थी को सुनकर पुनः नियमानुसार एवं विधिसम्मत तरीके से करें। प्रार्थी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 15.01.2018 को उपस्थित हो।

15. निर्णय सुनाया गया।

(नत्थूराम)
सदस्य